जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

भवन मानचित्र समिति(ले आउट प्लान) की 59वीं बैठक दिनांक 10-2-2004 को सायं 5.00 बजे आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, का कार्यवाही विवरण :-

---

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया-

1. श्री डी.आर.मीणा, कार्यवाहक सचिव, जविप्रा, जयपुर।
2. श्री एस.सी. महागांवकर, निदेशक(आयोजना)जविप्रा, जयपुर।
3. श्री ओ.पी. यादव, अति.आयुक्त(पश्चिम)जविप्रा, जयपुर।
4. श्री ए.एन. भार्गव, वरिष्ठ नगर नियोजक(बीपीसी)जविप्रा, जयपुर।

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित थे-

1. श्री एस.एन. तिवाडी, उपायुक्त, जोन-6, जविप्रा, जयपुर।
2. श्री वी.पी.सिंह, उपायुक्त, जोन-7, जविप्रा, जयपुर।
3. श्री मुकेश मित्तल, उप नगर नियोजक(बीपीसी)जविप्रा, जयपुर।
4. श्री देवेन्द्र सैनी, सहायक नगर नियोजक(सेवानिवृत्त),जोन-6, जविप्रा, जयपुर।

एजेण्डा विवरण:-

1. एजेण्डा सं0 1 :- मोती भवन गृ.नि.स.स. की 12 बी योजना के अनुमोदन के संबंध में।

   निर्णय :- जोन उपायुक्त द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार- विमर्श किया गया और यह तथ्य उभर कर आया कि योजना मय दस्तावेज के समिति द्वारा दिनांक 19.04.1997 को पेश की गई। और तब तक प्रश्नगत भूमि का अकृषि उपयोग हो गया था। परन्तु 90 बी की कार्यवाही 08.04.2003 को की गई। धारा 90 बी की कार्यवाही राज्य सरकार के आदेशानुसार 17.06.99 तक ही होनी चाहिये थी परन्तु भूमि का उपयोग इस तिथि से पूर्व ही अकृषि हो गया था अतः निम्नांकित संशोधनों के साथ योजना अनुमोदित की गई है।

   1. सेक्टर- 31 की 40 फीट चौड़ी सड़क से प्रभावित भूखण्ड सं. बी-1 एवं बी-2 के सड़क क्षेत्र काटने के पश्चात बचे क्षेत्र के निर्मित क्षेत्रफल मिलने की शर्त पर आंशिक अनुमोदित किया गया।
   2. भू.सं. बी-8 व बी-9 पर एल.टी. लाइन गुजर रही है अतः एल.टी. लाइन हटने पर ही इन दोनों भूखण्डो को अनुमोदित माना जावे।
   3. योजना की सभी सड़को को 40' अनुमोदित किया गया।

2. एजेण्डा सं0 2 :- सिंधु नगर गृ.नि.स.समिति की स्कीम नं. 12 के भू.सं. 24 व 25 के अनुमोदन के संबंध में।

   निर्णय :- जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया गया। चूंकि भूखण्ड सं. 24 व 25 की भूमि की 90 बी की कार्यवाही होकर जविप्रा में निहित हो चुकी है। अतः दोनों भूखण्डों को इस योजना का भाग माना गया । भूखण्ड सं. 24 का नियमन कर दीया जावे। एवं भू.सं. 25 के बाबत समाचार पत्रों में नियमानुसार विज्ञप्ति जारी कर आपत्ति मांगी जावें। यदि कोई आपत्ति नहीं आती है तो नियमन कर दीया जावे। यदि कोई

आपत्ति आती है तो आपत्ति के विश्लेषण के साथ प्रकरण के पुन: बैठक में रखा जावे।

3. एजेण्डा सं0 3 :- दी अम्बेडकर गृ.नि.स.स. की स्कीम नं. 5 (प्रवासी नगर) के भू. सं. 74, 74 ए व 113 बाबत।

निर्णय :- जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार किया /कर निम्नांकित निर्णय लिये गये।

1. भू.सं. 113 व भू.सं. 74 के मध्य मौके पर स्थित सड़क को मोती भवन गृ.नि.स.समिति 4 डी योजना से मिलाया जावे एवं भू.सं. 113 के सड़क में आने वाले भाग के अतिरिक्त शेष भाग को नियमित किया जावे।
2. अनुमोदित योजना में भू.सं. 74 ए नहीं है तथा भू.सं. 74 भी तिकोने आकार का है। इन प्रश्नगत दोनों भूखण्डों का शेष भाग मोती भवन गृ.नि.स.स. की योजना 4 डी का भू.सं. 7 ई के रूप में है। उपायुक्त जोन-6 यह देखे कि भू.सं. 7 ई, 4 डी योजना का पट्टा जारी किया जा चुका है अथवा नहीं यदि नहीं तो मोती भवन गृ.नि.स.समिति से यह अनापत्ति ली जावे कि क्या भू.सं. 7 ई, 4 डी योजना को भू.स. 74, 74 ए प्रवासी नगर का भाग मानकर निममित कर दीया जावे। तथा भू.सं. 7 ई, 4 डी योजना बाबत दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञप्ति भी प्रकाशित कराई जावे। मोती भवन सरकारी समिति द्वारा अनापत्ति व जनता से कोई आपत्ति नहीं आने पर सड़क क्षेत्र में आने वाले भवन के भाग को छोडकर भू. सं. 74 व 74 ए का नियमन कर दीया जावे।

4. एजेण्डा सं0 4 :- भू.सं. ए-73 (मौके पर ए-63) नित्यानन्द नगर, इन्दिरा गृ.नि.स.समिति

निर्णय :- प्रकरण को स्थगित किया गया।

बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ सम्पन्न हुई।

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक :- जविप्रा/वननि/बी.पी.सी./2004/डी- 42
दिनांक :- 23/2/04
प्रतिलिपि :-

1. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. निदेशक (आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
4. अतिरिक्त आयुक्त भूमि (पूर्व/पश्चिम), जविप्रा, जयपुर।
5. वरिष्ठ नगर नियोजक (एम.पी./प्रोजेक्ट), जविप्रा, जयपुर।
6. उपायुक्त जोन ....., जविप्रा, जयपुर।
7. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर